सत्यमेव जयते
Website Copy Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 115/2019 दायर तारीख :– 04-12-2019

1. प्रकाश चंद
2. सुरेश चंद

पुत्रान बन्शीधर

समस्त जातियान अहीर निवासी लाख्यावाली ढाणी तन खेलना तहसील कोटपूतली हाल निवासी भाबरू तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. भींवाराम
2. रामकुवार
3. रामनिवास

पुत्रान मूला

4. कल्याण सहाय
5. प्रभूदयाल
6. रोहिताश

पुत्रान अर्जुन

समस्त जाति गुर्जर निवासी भाबरू तहसील विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान

7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील कार्यालय विराटनगर, जिला जयपुर राज0।

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र सीमांकन पत्थरगढ़ी

एवं सीमा निश्चयकरण

उपस्थित : श्री चिरंजीलाल रैगर, अधिवक्ता प्रार्थीगण
एकपक्षीय कार्यवाही अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 10.09.2020

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम भाबरू के खाता संख्या 496 के हाल आराजी खसरा नम्बर 1638/0.09, 1639/0.0774, 1640/0.33, 1684/0.26, 1685/0.1012, 1686/0.0826 हैक्टेयर कुल किता 6 रकबा 0.9412 हैक्टेयर प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2076–2079 है। प्रार्थीगण ने अपने नाम दर्ज खातेदारी भूमि के लिए तहसीलदार विराटनगर के आदेश क्रमांक : भू.अ./2018/149 दिनांक 29.10.2018 की पालना में दिनांक 18.10.2019 को सीमाज्ञान करवा लिया है। यह है कि प्रार्थीगण ने उक्त भूमि के लगती हुई अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की भूमि खसरा नंबर 1641/0.23, 1646/0.12, 1683/0.18 हैक्टेयर लगती हुई है जो कि प्रार्थीगण के हुए सीमाज्ञान को नहीं मानते है और प्रार्थीगण की सींव डोल को काटकर काश्त करने में मजामहत पैदा करने लग गए है, इस कारण प्रार्थीगण की भूमि पर स्थाई सीमाचिन्ह स्थापित करना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण अब अपनी भूमि को सुरक्षित करवाने की गरज से पत्थरगढी करवाना चाहते है। अतः निवेदन है कि वाके ग्राम भाबरू के खाता संख्या 496 के हाल आराजी खसरा नम्बर 1638/0.09, 1639/0.0774, 1640/0.33, 1684/0.26, 1685/0.1012, 1686/0.0826 हैक्टेयर कुल किता 6 रकबा 0.9412 हैक्टेयर की स्थायी सीमा निर्धारिण/पत्थरगढ़ी आवश्यक पुलिस इमदाद तहसीलदार विराटनगर को उपलब्ध करवाई जाकर सीमांकन पत्थरगढ़ी एवं सीमा निश्यचकरण किए जाने के आदेश प्रदान करें।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थीगण की तल्बी की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 सम्यक् तामिल अनुपस्थित रहे, इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। पैरोकार सरकार उपस्थित। जवाब सरकार पेश किया गया।
3. प्रार्थीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी ग्राम भाबरू खाता संख्या 496 संवत् 2076–2079, नक्शा ट्रेस ग्राम भाबरू, नकल फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 18.10.2019, नकल जमाबन्दी ग्राम भाबरू खाता संख्या 380 संवत् 2076–2079, नकल जमाबन्दी ग्राम भाबरू खाता संख्या 182 संवत् 2076–2079 एवं प्रार्थीगण के आधार कार्ड आदि पेश किये।
4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।
5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम भाबरू के खाता संख्या 496 के हाल आराजी खसरा नम्बर 1638/0.09, 1639/0.0774, 1640/0.33, 1684/0.26, 1685/0.1012, 1686/0.0826 हैक्टेयर कुल किता 6 रकबा 0.9412 हैक्टेयर प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2076–2079 है। प्रार्थीगण अब अपनी भूमि को सुरक्षित करवाने की गरज से पत्थरगढी करवाना चाहते है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का तर्क रहा कि मौके पर अन्य खातेदार प्रार्थीगण की आराजी की सीमा–डोल तोडते हैं, जबकि अन्य किसी का, प्रार्थीगण की आराजी से कोई संबंध नहीं है। यह है कि प्रार्थीगण ने अपने नाम दर्ज खातेदारी भूमि के लिए तहसीलदार विराटनगर के आदेश क्रमांक : भू.अ./2018/149 दिनांक 29.10.2018 की पालना में दिनांक 18.10.2019 को सीमाज्ञान करवा लिया है। खातेदार को अपनी आराजी की सुरक्षा की दृष्टि से सीमाओं की जानकारी होना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण एवं अन्य खातेदारों के मध्य भविष्य में होने वाले विवाद को

रोकने के लिए यह आवश्यक है कि प्रार्थीगण की आराजी की पत्थरगढी की जाकर स्थायी सीमाचिन्ह स्थापित किये जावें।

6. प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थीगण की वर्णित भूमि वाके ग्राम भाबरू के खाता संख्या 496 के हाल आराजी खसरा नम्बर 1638/0.09, 1639/0.0774, 1640/0.33, 1684/0.26, 1685/0.1012, 1686/0.0826 हैक्टेयर कुल किता 6 रकबा 0.9412 हैक्टेयर की पत्थरगढी कर, स्थायी सीमांकन चिन्ह स्थापित करावे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज 10.09.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर